राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–69 (लो0सू0अ0) / 2022–23
श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
14.12.2022	श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–05.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक–08.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 828520 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रविशंकर कुमार अकेला ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–07.10.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–07.10.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–07.10.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–27.12.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 14/12/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–69 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.12.2022	दिनांक–14.12.2022 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री रविशंकर कुमार अकेला, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पोस्ट–अनीसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, पिन कोड–800002 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–07.10.2022, जो दिनांक–14.10.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। विदित हो कि अपीलार्थी ने अपने प्रपत्र 'क' दिनांक–07.10.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मॉग की थी:– *''कृपया बताऐं कि दिनांक–17.03.2017 एवं दिनांक–17.07.2017 को रजान्ती कुमारी, पिता–श्री चन्द्रदेव भगत, ग्राम–बसनविगहा, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, बिहार के आवेदन पत्र पर कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण दिनांक–21.10.2017 को आत्महत्या कर ली, उसकी जबावदेही किस पदाधिकारी कि होगी एवं किस अनुच्छेद तथा धारा के अंतर्गत नियम है कि प्रतिलिपि के अन्य के साथ रहने पर आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तथा मेरे द्वारा दिनांक–11.07.2022 एवं दिनांक–14.07.2022 में रजान्ती कुमारी के द्वारा दिनांक–17.03.2017 एवं दिनांक–17.07.2017 का आवेदन पत्र पर कब तक कार्रवाई किया जाएगा, तिथि के साथ बताऐं।'* उपर्युक्त के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा निम्नांकित निर्णय / सूचना प्रपत्र 'घ' के माध्यम से संसूचित किया गया है:– *''सूचनीय है कि '' अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।* *सूचनीय है कि आवेदिका सुश्री रजंती कुमारी, पिता–श्री चन्द्रदेव भगत द्वारा समर्पित परिवाद पत्र दिनांक–17.03.2017 माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को संबोधित है, जिसकी प्रतिलिपि अन्य के साथ महामहिम राज्यपाल, बिहार को भी प्रेषित की गयी है। उल्लेखित विषय राज्यपाल सचिवालय, पटना से संबंधित नहीं है, जिस पर सम्प्रति पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसकी सूचना पूर्व में राज्यपाल सचिवालय, पटना के पत्रांक–135 दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से आपको संसूचित किया जा चुका है। भेजे गये पत्र की प्रति पुनः संलग्न है।''* उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना / लिए गए निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समस्याओं का समाधान करना अथवा प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	